**COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI**



***District & Addl. Sessions Judge-I-Cum-Special Judge Sc & St., Jamui.***

***A.B.P. No. 372/2026***

***Laxmipur P.S. case no. 162/2024***

**Digambar Kumar Tanti Vs. State of Bihar**

**12.05.2026** लक्ष्मीपुर थाना काण्ड संख्या–162 / 2024, जो भा0न्या0स0 की धारा 366A, 379 सभी सपठित धारा 34 से संबंधित है, के अभियुक्त **दिगम्बर कुमार तांती,** उम्र–24 वर्ष, पिता–जीलाल तांती निवासी ग्राम महुआगढ, थाना–लक्ष्मीपुर, जिला–जमुई की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन इस काण्ड में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है।

कांड के सूचक मन्टु यादव पे0 गणेश यादव द्वारा थानाध्यक्ष, थाना लक्ष्मीपुर, जिला जमुई को दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक–09.05.2024 को दिन में वह मजदूरी करने गये थे। जब वह घर आया तो पता चला कि उसकी बेटी मधु कुमारी घर में नहीं थी और उसकी बेटी की शादी मं जो उसने जेबर और पैसा घर में रखा था वो भी नहीं था। उसके घर से नगद ग्यारह हजार रूपया एवं 2 भर सोना का जेबर गायब है। जब उसने खोजबीन करने लगे तो उसे पता चला कि उसके बगल के गांव के जीवलाल तांती का बेटा दिगम्बर कुमार तांती के साथ गई है एवं दिगम्बर तांती ने उसकी बेटी को शादी की नियत से बहला फुसलाकर भगाया है, जिसमें उसके गांव के छोटू कुमार का भी हाथ है। दिगम्बर कुमार गाड़ी नं0–BR-46L-3610 और BR46F-3140 है, दोनों बाईक लेकर बराबर उसके घर के तरफ आता था।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त को ग्रामीण राजनीति के कारण झूठा फंसाया गया है। **उभय पक्षों में सुलह हो चुका है। जमानत आवेदन के साथ सुलहनामा संलग्न है।**

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों पर आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन सुलह हो जाने के कारण उदार दृष्टिकोणा अपनाने पर अपनी सहमति व्यक्ति की है।

मैंने अभिलेख संहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि

**COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI**



***A.B.P. No. 372/2026***

***Laxmipur P.S. case no. 162/2024***

**Digambar Kumar Tanti Vs. State of Bihar**

अभियुक्त पर सूचक की पुत्री को शादी के नियत से भगा ले जाने का आरोप है। कांड दैनिकी से विदित होता है कि अभियोजन साक्षियों ने साररूप से अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, किंतु **उभय पक्षों में सुलह हो गया है।** अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दस हजार के दो प्रतिभुओं से समर्थित बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का ओदश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायालय, जमुई।

प्रति अग्रसारितः– विद्वान न्यायालय श्रीमति भाविका सिन्हा, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायालय, जमुई।